फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/285 बअनवान राधाकिशन बनाम सरकार
राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/284 बअनवान महादेवसिंह बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री विक्रमसिंह सोलकी ने बहस कर दलील दी कि आवेदक महादेव सिह पुत्र गिरवरसिंह जाति राजपूत को इनके द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा के खसरा नं 339 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नही होने से आवेदन न्यायालय में पेश किया था जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार बाली में अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2248 दिनाक 18.10.2024 से मोका जांच रिपोर्ट प्रस्तावित करते हुये खसरा नंबर 561/338 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। तथा आवेदक राधाकिशन पुत्र रावतरामजी की खातेदारी भूमि ग्राम भगली के खसरा 341/1 में अवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने से आवेदन पेश किया था जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2249 दिनांक 18.10.2024 से प्राप्त हो चुकी है जिसमें खसरा नंबर 339 निजी खातेदार महादेव वगैरा की निजी खातेदारी भूमि एवं राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं 341 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। इस प्रकार दोनो रिपोर्टो को समेकित करने पर ज्ञात है कि महादेवसिंह पुत्र गिरवरसिंह को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 339 तक पहुच के लिए राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 561/338 में से रकबा 1846.28 वर्गमीटर भूमि का रास्ता प्रस्तावित है तथा महादेवसिंह की खातेदारी खसरा नंबर 339 तक पहुंच के पश्चात राधाकिशन को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 341/1 तक पहुंच के लिए महादेवसिंह की ख़ातेदारी के खसरा नंबर 339 मे से 822.60 वर्गमीटर तथा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 341 में से 2376 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता प्रस्तावित है। इस प्रकार राधाकिशन की भूमि तक पहुंच का रास्ता महादेवसिह की भूमि तक पहुंच के रास्ते के जुडता होने से दोनो पत्रावलीयों को समेकित करते हुये एक साथ निर्णय पारित किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे आवेदक महादेव सिह पुत्र गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी जयपुर वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम भागली तहसील बाली के खसरा नंबर 339 रकबा 0.7700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 561/338 रकबा 0.8778 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से **202×9= 1818 वर्गमीटर** तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक राजंस्व/2024/2248 दिनांक 18.10.2024 के अनुसार रास्ता तथा राधाकिशन पुत्र रावतरामजी जाति ढोली को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 341/1 में आवागमन के लिए खातेदार महादेवसिंह पुत्र गिरवरसिंह वगेरा की भूमि खसरा नंबर 339 में से **90×9= 810 वर्गमीटर** तथा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 341 में से **264×9= 2376 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (प)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार/निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली** द्वारा कार्यालय पत्रांक 2248 व 2249 दिनांक 18.10.2024 से प्रस्तुत रिपोर्ट	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुये
	एवं पत्रांक 2249 के संलग्न नजरी नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी के प्श्चात रिकार्ड में बतौर गै.मु. रास्ता अंकन करते हुये रिकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम की सुनिश्चितता करें। आवेदक श्री महादेवसिंह वगेरा से 1818 वर्गमीटर की देय प्रतिकर राशि वसूल जावे तथा आवेदक राधाकिशन से 810 वर्गमीटर की देय प्रतिकर राशि प्रभावित खातेदार महादेवसिंह वगैरा को अदायगी की सुनिश्चितता के साथ 2376 वर्गमीटर सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि राधाकिशन वगैरा से वसूल की जावे। इसी अनुसार दोनो पत्रावलियां एक साथ निर्णित की जाकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

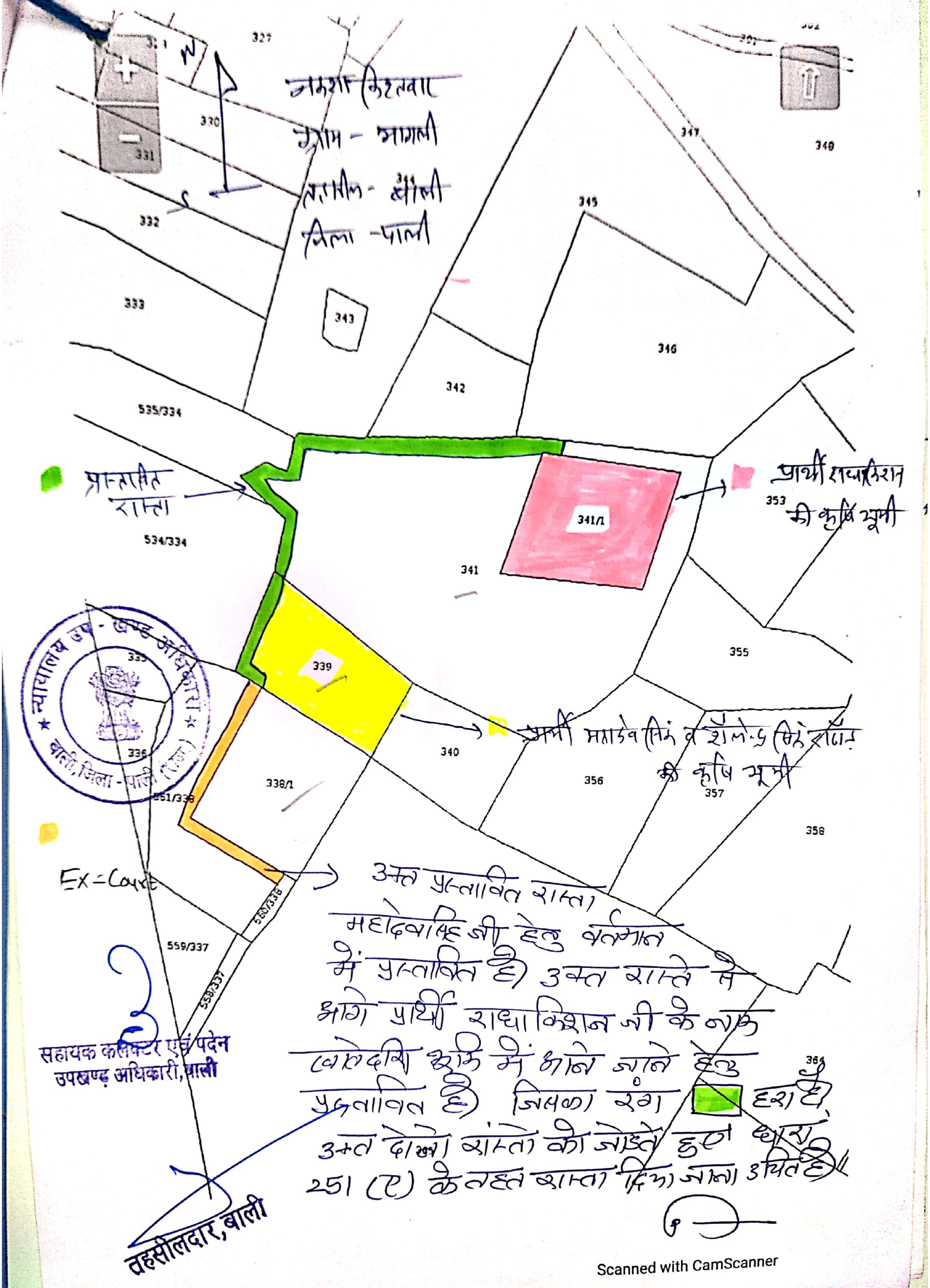

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner